न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	मु.नं. 52/16 फर्द अहकाम अन्तर्गत प्रकरण :- परसादी v/s रामेश्याम
13-10-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। वकील सायल ने अपनी बहस में बताया कि ख.नं. 1622 रकबा 0.37 हे. वाके ग्राम गुढा चन्द्रजी में सायल का हिस्सा 1/4 है तथा गैरसायल सं. 5 का 1/4 हिस्सा है व गैरसायलान नं. 6 ता 9 का 1/4 हिस्सा है। जोकि इस भूमि को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। इस अराजीयात का अभी तक सायल एवं गैरसायलान के मध्य बाहमी बटवारा नहि हुआ है। गैरसायलान की नियत में बदनीयति रही है बदनीयतिवश गैरसायलान द्वारा उक्त अराजीयात को दिनांक 13.10.16 को बिना सायल की जानकारी में 0.02 हे. को विक्रय कर दिया है जिसको गैरसायलान को कोई हक नहि है क्योंकि उक्त अराजीयात का अभी तक बटवारा नहि हुआ है। इसलिए गैरसायलान बिना विधिवत बटवारा करवाये बिना ही उक्त अराजीयात को रहन बय नहि कर सकते। इस प्रकार सायल का प्रथमदृष्टया केस साबित है। गैरसायलान ने दिनांक 13-10-16 को करीब 5 बजे शाम को सायल की अपनी अराजीयात जिसकी सार संभाल कर रहा था वहां जाकर बोले हमने गैरसायल सं. 10 को उक्त भूमि का 0.02 हे. रकबा विक्रय कर दिया है, और हम इस पर गैरसायल सं. 10 का कब्जा करायेंगे। और शीघ्र ही तहसीलदार नादौती से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

क्रमांक	पर्चे अहकाम	
	मिलकर इस नामांतकरण की स्वीकृति ली है। यदि गैरसायलान अपनी हरकत से कामयाब होता है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसको किसी भी प्रकार से पूर्ति किया जाना संभव नहि हो सकता। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित खाता खसरा नं. 1622 रकबा 0.37 हे स्थित ग्राम गुढाचंद्रजी मे सायल को वाले हिस्से 1/4 पर जोत/पूर्ति काश्त करने देवे तथा बिना विधिवत बटवारा के रहन बय नहि करे तथा गैरसायल सं. 11 तहसीलदार नादौती को गैरसायल सं. 10 के हक मे बिना विधिवत बटवारा हुऐ नामान्तकरण नहि खोले एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अपनी बहस मे वकील गैरसायलान 1 ता 10 ने बताया की वास्तविक रूप से सायल व गैरसायल घरेलू तौर पर 40 वर्ष पूर्व हुए बटवारे अनुसार काबिज कर काश्त कर रहे है मौके पर सायल की 1/4 हिस्से की भूमि की डोल, मेड हो रही है जिस पर सायल काबिज है तथा गैरसायल सं. 1 ता 9 अपनी भूमि पर काबिज है एवं गैरसायल सं. 10 अपनी क्रय की गयी भूमि पर काबिज है मौके पर गैरसायलान की घरेलू 40 वर्ष पूर्व हुए घरेलू बटवारे अनुसार	

(हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	[illegible]
	[illegible] 13-10-16 को [illegible] था।
	[illegible]
	[illegible] दिनांक 18-10-17 [illegible]
	[illegible] उपखण्ड अधिकारी नादौती